संख्या-216/2023/1622/22-2-2022-17(1275)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2023*

विषय:- जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमार पुत्र श्री राम भरोसी, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमार पुत्र श्री राम भरोसी, ग्राम-पूठा, थाना-डौकी, जनपद-आगरा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.09.2004 को फिरौती के लिए 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 11 वर्ष के बच्चे सतेन्द्र का अपहरण किया फिरौती की रकम 02 लाख नहीं मिलने पर सतेन्द्र की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-591/2006 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द0प्र0क्षेत्र) न्यायालय सं0-04, आगरा के आदेश दिनांक 24.02.2021 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2021 तक 15 वर्ष, 09 माह, 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 10 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परमार (बन्दी संख्या-106/2021) पुत्र श्री राम भरोसी, निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-216/2023/1622(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-आगरा ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।